न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2024

लेखराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल साकिन दौलतांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. शिवकुमार | पिसरान बद्रीप्रसाद जाति जाट साकिन बड़ोपल हाल दौलतांवाली तहसील पीलीबंगा
2. सादुल सिंह | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थी
2.	श्री मदन लाल पारीक	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22/07/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क रा0 का0 अधि0 के तहत श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के खाता सं. 56/50 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 8/1 ता 15 की 1.898 हैक., प.नं. 43/347 (34) किला नं. 1621, प.नं. 43/348 (41) किला नं. 25/3 की कुल 5.946 हैक. कमांड अनकमांड मय खाला रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के खाता सं. 61/56 के प.नं. 40/345 किला नं. 1 ता 25, प.नं. 41 /344 (5) किला नं. 16 ता 20 की कुल 7.590 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के खाता सं. 69/63 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 21/2 ता 25/2, प.नं. 41/345 (16) किला नं. 1/1 ता 20 की 6.200 हैक. कमांड मय खाला रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 3 टी के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 21/2 ता 25/2 में मौका पर स्वीकृतशुदा रास्ता है जो कि चालू है । प्रार्थी के नाम दर्ज प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतदा रास्ता नही है। मौका पर अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि चक 3 टी के खाता सं. 61/56 के प.नं. 41/344. (5) किला नं. 20 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 3 टी के खाता सं. 69/63 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 21/2 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता । उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 3 टी के खाता सं. 61/56 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 20 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 3 टी के खाता सं. 69/63 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 21/2 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का [illegible] आई भूमि के बदले उतनी भूमि प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को देने के लिये तैयार है अ[illegible] आई भूमि की एवज में डीएलसी की दौगुना राशि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दे[illegible] 3 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्राथना[illegible] न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible]थ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 3 [illegible] के खाता सं. 61/56 के [illegible]/344 (5) किला नं. 20 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 3 टी के खाता सं. 69/63 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 21/2 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.23 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी से सम्बधित है

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जिसे साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित रास्ता गैर मुमकिन सरकारी रास्ता है जो स्वीकृत व चालु है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई गलत दर्ज है, स्वीकार नहीं। प्रशनगत रास्ता बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति इस बात पर तय हुई थी कि प्रार्थी द्वारा किला नं. 20 में 1 बिस्वा व 21 में 1 बिस्वा रास्ता चालु करेगा तथा इस भुमि का रास्ता हेतु उपयोग करेगा तो वह अप्रार्थीगण को इस रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण की भूमि के चिपते ही किला नं. 11 ता 15 के दक्षिण दिशा में इतनी ही भुमि अप्रार्थीगण को देगा एवम् राजस्व अभिलेख में अंकन करवायेगा। चक 3 टी के प.न. 41/344 किला नं. 16 ता 20 की भुमि अप्रार्थी सं. 1 की है तथा किला नं. 21/2 ता 25/2 की भुमि अप्रार्थी सं. 2 की है जो अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के मध्य हुए इस सहमति करार पर प्रार्थी कायम नहीं रहा उसने प्रशनगत रास्ता के बदले में अप्रार्थीगण को कोई भुमि नहीं दी है इसलिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को किला नं. 20, 21 में रास्ता हेतु भुमि नहीं दी है और ना ही मौके पर यह रास्ता चालु है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भुमि की सिंचाइ हेतु अपनी भुमि में से 2 बीघा लम्बी आड़ दे रखी है और अब प्रार्थी रास्ता की मांग कर रहा है जिससे अप्रार्थीगण की भुमि काफी कम हो जायेगी। यदि प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता है तो वह अप्रार्थीगण को तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के प.न. 41/344 किल्ला नंबर 11/0.007, 12/0.007, 13/0.008, 14/0. 008, 15/0.008 कुल (0.038 हैक. भुमि दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण को कब्जा देकर एवम् राजस्व अभिलेख में ध.हि.ब. दर्ज करवाके प्रशनगत रास्ता स्वीकृत एवम् चालु करवा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 956 दिनांक 14.02.24 से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 3 टी के प.न. 41/344 के कि.न. 8/1, 9 ता 15 की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि.न. 16 ता 20 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 21/2 ता 25/2 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि.न. 20 व 21/2 में पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता के उपयोग हेतु भूमि मौके पर खाली है जिसमें 3–4 पेड़ शीशम व बबूल के पेड़ लगे हुए हैं। प्रकरण में पटवारी एवं भू–अभि निरिक्षक के साथ स्वय् जाकर मौका निरिक्षण किया गया मौका पर रास्ता चालू है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले भूमि की शर्त पर जवाब प्रार्थना पत्र में रास्ता देने हेतु सहमती प्रकट की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–आदेश–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एवं स्वयम् मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चांहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नही लगता है। प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा चक 3 टी के खाता सं. 61/56 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 20 में 0.019 हैक. रास्ता बज़ानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 3 टी के खाता सं. 69/63 के प.नं. 41/344 (5) किला नं. 21/2 में 0.019 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। विधि विभाग अधिसूचना 5 सितम्बर 2023 द्वारा 1955 राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 251–क के तहत उक्त रास्ता के प्रतिकर के रूप में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के अंतरण के आधार पर प्रतिकर के रूप अप्रार्थीगण को इस रास्ता की एवज में प्रार्थी द्वारा दी जावे अन्यथा प्रतिकर के रूप में डीएलसी का दुगना जमा करवाया जाकर आदेशों की पालना तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 22/07/24 सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.23 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा